श्री मदन सिंह S/o श्री रामचन्द्र सिंह, ग्राम+पोस्ट: परसौना, तहसील संग्रामपुर, जिला: पूर्वी चम्पारण का ऑन लाईन माध्यम (Appeal Registration No. PGCIL/A/E/23/0056 dtd 25.10.2023) से प्रेषित प्रथम अपील के संबंध में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय।

निर्णय : दिनांक: 14.11.2023/1530

अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपील ऑन लाईन माध्यम से (**Appeal Registration No. PGCIL/A/E/23/0056 dtd 25.10.2023**) प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, पावरग्रिड, पू. क्षे.-1, पटना को प्रेषित की गई थी।

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, पावरग्रिड, पू. क्षे.-1, पटना के समक्ष अपील की सुनवाई हेतु दिनांक 14.11.2023, 11:00 बजे उपस्थित होने के लिए केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, पावरग्रिड, पू. क्षे.-1, पटना तथा अपीलकर्ता को इस कार्यालय का पत्र संदर्भ सं0: पू.क्षे.-01/प्र.अ.प्रा./1487 दिनांक 03.11.2023 के माध्यम से डाक (स्पीड पोस्ट) द्वारा सूचित किया गया था।

अपीलकर्ता एवं केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, पावरग्रिड, पूर्वी क्षेत्र-1 प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष निर्धारित समय पर उपस्थित हुए और अपना-अपना पक्ष रखे।

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, पावरग्रिड, पूर्वी क्षेत्र-1 ने स्पष्ट किया कि अपीलकर्ता को उनके द्वारा माँगी सूचना से संबंधित जानकारी के बारे में पत्र संदर्भ संख्या पावरग्रिड/पू. क्षे.-1 क्षे. मु./आर. टी. आई-356/2023-24/1152 दिनांक 12.09.2023 के माध्यम से दे दी गई हैं।

अपीलकर्ता द्वारा माँगी गई सूचना जो उनके मुल आवेदन (PGCIL/R/E/23/00296 dtd 13.08.2023) वर्णित हैं, उसके अतिरिक्त जानकारी देने का अनुरोध किया गया, जिसके बारे में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा स्पष्ट किया गया कि अपील के दौरान अतिरिक्त सूचना से संबंधित जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत नहीं प्रदान की जा सकती। उसके लिए अलग से केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, पावरग्रिड, पूर्वी क्षेत्र-1 के द्वारा दी गई वाँछित जानकारी/स्पष्टीकरण जो उनके पत्र संदर्भ संख्या पावरग्रिड/पू. क्षे.-1 क्षे. मु./आर. टी. आई-356/2023-24/1252 दिनांक 12.09.2023 के माध्यम से दी गई है, का अवलोकन किया गया । प्रथम अपीलीय प्राधिकारी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं।

इस अपील का तदनुसार निपटारा किया जाता हैं।

अगर अपीलकर्ता उपरोक्त जानकारी/स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं है तो Chief Information Commissioner, Central Information Commission, CIC Bhawan, Baba Gangnath Marg, Munirka, New Delhi के समक्ष सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत द्वितीय अपील कर सकते हैं।

(उत्पल शर्मा)
कार्यपालक निदेशक सह
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, पूर्वी क्षेत्र-1

वितरण:-

01: अपीलकर्ता (श्री मदन सिंह S/o श्री रामचन्द्र सिंह, ग्राम+पोस्ट: परसौना, तहसील संग्रामपुर, जिला: पूर्वी चम्पारण)
02: केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, पावरग्रिड, पूर्वी क्षेत्र-1, पटना